**छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् ,रायपुर**
कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165
**वेबसाईट** - www.cgaupcb.in, **ई-मेल** - registrar@cgaupcb.in, cgaupcbregistrar@gmail.com

क्रमांक / पंजी.नवीनी./ 2025/ 2067          रायपुर, दिनांक 17/12/2025

## –:: सूचना ::–

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 21(1) तथा (4), भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 32(5) एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम 2023 (आचार एवं पंजीयन) की धारा 7 तथा परिषद् की संपन्न 17वीं, 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में स्थानीय राज्य परिषद् के राज्य रजिस्टर में **दिनांक 04 जुलाई 2002 से 31 दिसंबर 2019** तक नाम दर्ज एवं पंजीकृत समस्त आयुर्वेद/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों (शासकीय/संविदा/निजी चिकित्सा व्यवसायरत) को **दिनांक 01 जुलाई 2024 से दिनांक 31 मई 2025 तक (बिना विलंब शुल्क तथा विलंब शुल्क सहित)** अनिवार्य रूप से अपने पंजीयन के पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु परिषद् कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना था।

2/– उपरोक्तानुसार परिषद् कार्यालय द्वारा चिकित्सकों के आवेदन पत्र में दर्ज पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गयी थी। पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण हेतु सूचना कार्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट पर दिनांक 27.06.2024, 23.07.2024, 08.08.2024, 21.08. 2024, 18.09.2024, 01.10.2024, 06.11.2024 तथा 01.01.2025 को चस्पा एवं अपलोड किया गया था। यह भी अवगत होवें कि पंजीयन पुनरीक्षण सह नवीनीकरण की सूचना राज्य के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में दिनांक 29 जून 2024, 19.09.2024, 02.01.2025 तथा 07.01.2025 को प्रकाशित करायी गयी है।

3/– उक्त सूचनाओं के उपरांत भी अनेक चिकित्सकों द्वारा अंतिम तिथि 31 मई 2025 तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना उपरोक्त वर्णित अधिनियमों तथा विनियम का उल्लंघन है। तदानुसार छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 21(4) के तहत पंजीयन सह पुनरीक्षण नहीं कराने वाले चिकित्सकों का नाम राज्य रजिस्टर से हटाते हुए उन्हें जारी पंजीयन एतद् द्वारा निलंबित किया जाता है। निलंबित चिकित्सा व्यवसायियों की सूची परिषद् के वेबसाईट **www.cgaupcb.in** में उपलब्ध है।

4/– पंजीयन निलंबन की दशा में निलंबित चिकित्सा व्यवसायी शासकीय, संविदा, निजी संस्थानों में सेवा अथवा निजी चिकित्सा व्यवसाय हेतु अपात्र होंगे। यह भी सूचित होवें कि निलंबित चिकित्सा व्यवसायी छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर के आगामी तृतीय परिषद् निर्वाचन प्रकिया में भाग लेने हेतु अपात्र होंगे तथा उनका नाम संभागवार मतदान के लिए अर्ह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की सूची में शामिल नहीं होगा।

क्रमशः पेज...02

अवगत होवें कि जिन चिकित्सा व्यवसायियों का पंजीयन निलंबित किया गया है वे छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 21(4) के तहत् कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर पंजीयन पुर्नस्थापना (Restoration) करा सकते हैं। पंजीयन पुर्नस्थापना हेतु आवेदन पत्र तथा शुल्क की जानकारी परिषद् के वेबसाईट **www.cgaupcb.in** में उपलब्ध है। पंजीयन पुर्नस्थापना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निश्चित है। उक्त तिथि तक पंजीयन पुर्नस्थापना नहीं कराने वाले चिकित्सकों का पंजीयन स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(डॉ. संजय शुक्ला)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति
एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, रायपुर (छ.ग.)

***